He Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2310]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 2, 2013/आश्विन 10, 1935

No. 2310]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 2, 2013/ASVINA 10, 1935

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 2013

का.आ. 2989(अ).—केन्द्रीय सरकार, हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 (2013 का 25) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 6 दिसम्बर, 2013 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा।

[फा. सं. 12015/3/2008-एससीडी-IV]

संजीव कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(Department of Social Justice and Empowerment)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st October, 2013

S.O. 2989(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013 (25 of 2013), the Central Government hereby appoints the 6th day of December, 2013 as the date on which the said Act shall come into force.

[F. No. 12015/3/2008-SCD-IV] SANJEEV KUMAR, Jt. Secy.